बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

अधिसूचना संख्याः– 05 पटना, दिनांकः– 14.2.22

अधिसूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं संबंधित हितधारको के साथ आयोजित बैठक के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक–890 (ई.), दिनांक–29.06.2020 द्वारा राज्य में पेट–कोक एवं फर्नेस ऑयल के उपयोग हेतु संकल्पित ''राज्य की ईंधन नीति'' के अनुसार किसी भी बॉयलर अथवा फर्नेस अथवा किसी प्रकार के मौजूदा परिचालित उद्योगों (Existing Operational Industries) के उष्मन तंत्र (Heating System) में फर्नेस ऑयल का उपयोग अधिसूचित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करते हुए स्वच्छ ईंधन के रूप में LNG/PNG की आपूर्ति नेटवर्क विकसित होने तक किया जा सकेगा।

इसके साथ–साथ राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया जैसे वायु गुणवत्ता के मानकों को पूरा नहीं करने वाले शहरों (Non-attainment cities) तथा हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र जैसे अतिप्रदूषित क्षेत्र में नए/अथवा प्रस्तावित उद्योगों द्वारा फर्नेस ऑयल का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जायेगा।

राज्य में CNG/LNG/PNG की आपूर्त्ति हेतु तेल कम्पनी यथा गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है। अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र पाटलीपुत्रा, पटना; औद्योगिक क्षेत्र, बरौनी, बेगूसराय; औद्योगिक क्षेत्र, भोजपुर एवं अन्य में CNG/LNG/PNG की आपूर्त्ति की व्यवस्था बनायी जा चुकी है तथा अन्य क्षेत्रों के लिए भी आपूर्त्ति नेटवर्क व्यवस्था विकसित की जा रही है।

उक्त के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् एतद् द्वारा वैसे औद्योगिक क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों जहाँ पर तेल कम्पनी द्वारा CNG/LNG/PNG की आपूर्त्ति हेतु नेटवर्क विकसित किया जा चुका है, में संचालित/स्थापित औद्योगिक इकाई में फर्नेस ऑयल का उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में प्रतिबंधित करते हुए सिर्फ CNG/LNG/PNG स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयाँ जो बॉयलर अथवा फर्नेस अथवा उष्मन तंत्र (Heating System) में कोयला का उपयोग ईंधन के रूप में करती है तथा वहाँ CNG/LNG/PNG की आपूर्त्ति व्यवस्था की जा चुकी है, भी इसका उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

यदि किसी औद्योगिक इकाई को इस संदर्भ में किसी प्रकार की छूट अपेक्षित हो तो पर्षद् उनके संबधित अनुरोध पर अलग से विचार कर सकेगी।

इस अधिसूचना के निर्गत होने के 06 महीने के अंदर संबंधित औद्योगिक इकाई CNG/LNG/PNG का उपयोग सुनिश्चित करेगें। इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने वाले औद्योगिक इकाईयों के विरूद्ध सुसंगत प्रावधानों के तहत् वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव.

ज्ञापांकः– 317 पटना, दिनांकः– 14.2.22

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना/अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/सदस्य–सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली/पर्षद् विश्लेषक/वैज्ञानिक सलाहकार/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/2/22
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव.